




ट्रेड यूनियन रिपोर्ट
राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

2015

के बाद विकास ढांचा

भारत





चित्र सौजन्य: टॉम पिप्ट्रासिक /
यूएनडीपी इण्डिया

ट्रेड यूनियन रिपोर्ट
राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

2015
के बाद विकास ढांचा
भारत

राष्ट्रीय परामर्श रिपोर्ट 2015-के-बाद विकास ढांचा: भारत सितम्बर 2012 से फरवरी 2013 के बीच, 2015-के-बाद विकास ढांचे पर वैश्विक चर्चाओं के हिस्से के तौर पर भारत भर में हुए परामर्शों का सार है। परामर्शों का नेतृत्व सरकार, ट्रेड यूनियनों, महिला संगठनों, किसान संगठनों, शोध संस्थाओं, नागरिक समाज और युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय संयोजकों ने किया। यह रिपोर्ट ट्रेड यूनियन क्षेत्र से प्राप्त निष्कर्षों का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत कर रही है। पूरी रिपोर्ट देखें: www.in.one.un.org



विषय सूची:

ट्रेड यूनियन रिपोर्ट — राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट
2015 के बाद विकास ढांचा: भारत | 4

परामर्श की प्रक्रिया और प्रणालीविज्ञान | 4

विचारित प्रश्न | 5

2015-के-बाद-विकास एजेण्डा के लिए अनुशंसाएं/सिफारिशें | 6

अतिरिक्त अवलोकन और टिप्पणियां | 7

परामर्शों के दस्तावेज | 8





चित्र सौजन्य: यूएन आरसीओ/भारत

ट्रेड यूनियन रिपोर्ट राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट 2015 के बाद विकास ढांचा: भारत

1947 में स्थापित इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस की ट्रेड यूनियन शाखा है। इस के लगभग 60 लाख सदस्य हैं और यह इन्टरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन (ITUC) से जुड़ी है। इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ने ऑल इण्डिया सैण्ट्रल काउन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (AICCTU); ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सैण्टर (AIUTUC); ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (AITUC); भारतीय मजदूर संघ (BMS); सैण्टर फॉर ट्रेड यूनियन्स (CITU); हिन्दू मजदूर सभा (HMS); लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF); इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (INTUC); ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सैण्टर (TUCC); यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (UTUC); सैल्फ-एम्प्लॉयड विमैन्स असोसिएशन ऑफ इण्डिया (SEWA) सहित 11 ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को संयोजित किया।

वैबसाइट: Website: <http://www.intuc.net/affiliations.html>

परामर्श की प्रक्रिया और प्रणालीविज्ञान

ट्रेड यूनियन क्षेत्र के संयोजक के तौर पर इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ने जनवरी-फरवरी 2013 में चार क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया जो भारत के करोड़ों श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परामर्शों में शामिल प्रतिनिधियों में से लगभग 16 प्रतिशत महिलाएं थीं। राष्ट्रीय परामर्श 25-26 फरवरी, 2013, को दिल्ली में आयोजित किया गया। इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय परामर्शों की संस्तुतियों पर आधारित राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। परामर्श प्रक्रिया में इन्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन ने सहायता उपलब्ध करवाई। रिपोर्टों को ऑनलाइन देखें:

<http://www.worldwewant2015.org/node/318022>



राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परामर्श ट्रेड यूनियनों के विचारों को स्पष्ट करने के लिए आयोजित चार क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय परामर्श की परिणति था। परामर्श में ऑल इण्डिया सैण्ट्रल काउन्सिल ऑफ़ ट्रेड यूनियन्स; ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सैण्टर; ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस; भारतीय मजदूर संघ; सैण्टर फॉर ट्रेड यूनियन्स; हिन्दू मजदूर सभा; लेबर प्रोग्रेसिव फ़ेडरेशन; इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस; ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सैण्टर; यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस; सैल्फ़-एम्प्लॉयड विमैन्स असोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। परामर्श के तीन अंग थे – पूर्णसभा, जिसमें सूचना का साझा करना और भारतीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन का एक प्रतिनिधि-मण्डल तैयार करना शामिल था; समूह कार्य और प्रतिवेदन; समूहों की रिपोर्टों पर खुली चर्चाएं और साथ ही घोषणा पर सहमति। परामर्श की शुरुआत इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस के अध्यक्ष के सम्बोधन से हुई जिन्होंने भारतीय ट्रेड यूनियनों के दस सूत्री मांगपत्र को रेखांकित किया। पूर्णसभा सत्र भाग लेनेवालों को सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने में विशेषरूप से भारत में मिली सफलता के बारे में बताने पर केन्द्रित थी। ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि-मण्डल ने सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों और भविष्य की योजना पर विचार प्रस्तुत किए। इसके बाद चार समूहों ने (1) वैश्विक सन्दर्भों में बदलाव (2) राष्ट्रीय सन्दर्भ में बदलाव (3) भारत में विकास (4) 2015-के-बाद-के-नए ढांचे के लिए सिद्धान्त, लक्ष्य, समयावधि, लक्ष्य और जवाबदेही पर विचार और काम किया। चारों समूहों की रिपोर्टों की प्रस्तुतियों के बाद उन पर चर्चा हुई ताकि विभिन्न प्रश्नों पर आम सहमति बन सके।

भारतीय ट्रेड यूनियनों का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रतिभागियों को चार समूहों में बांटते हुए यह सुनिश्चित कर लिया गया कि हर समूह में महिलाओं और युवाओं के साथ ही केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों की भी भागीदारी हो। हर समूह को एक मॉडरेटर-कम- रिपोर्टर चुनने को कहा गया। चीजों को स्पष्ट करने के लिए कुछ पहचाने हुए प्रश्नों को उपविभाजित किया गया जैसे प्रश्न 02.02 और प्रश्न 02.03

विचारित प्रश्न

विकासशील देशों के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों और विशेषरूप से उन के राष्ट्रीय दृष्टिकोणों का आकलन किए जाने और उसके बाद 2015 के बाद की विकास चुनौतियों को पहचान का काम करने और उन पर विजय पाने की रणनीतियों पर काम किए जाने की आवश्यकता है। सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य, अन्तर्निहित अन्तरालों के साथ, विकसित विश्व से आए हैं जबकि विकासशील विश्व में जो बहुसंख्यक श्रमबल का घर भी है, गरीबी अधिक गम्भीर है। मौजूदा व्यवसाय वातावरण अधिक कठोर है क्योंकि विकसित विश्व के देश वैश्विक वित्तीय संकट के नकारात्मक प्रभाव झेल रहे हैं। वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर है और बाज़ार लगातार लागतों पर ध्यान बनाए हुए है जिसके कारण विकसित देश अपने तात्कालिक हितों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। प्रतिभागी मानते हैं कि अगले दशक भी ऐसे ही रहने वाले हैं। भारत एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है लेकिन वह पूंजीवादी नीतियों का अनुसरण कर रहा है। लाभ एक प्रेरक शक्ति बन गया है और कामगारों के कल्याण की अनदेखी की जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था का केन्द्र कृषि से हट कर, उत्पादन क्षेत्र से कतराते हुए, सेवा क्षेत्र में चला गया है। वृद्धि के मौजूदा पैटर्न के कारण समृद्ध और गरीब वर्गों के बीच की खाई और चौड़ी हुई है। नए श्रम को समझा जाना जरूरी है जो अधिक कौशल-आधारित है और जिसमें महिलाएं, युवा और मुख्यधारा से बाहर रह गए वर्ग जैसे दलित और आदिवासी शामिल हैं। काम की स्थितियां अधिक कड़ी हुई हैं और इनमें सुरक्षा नाममात्र की है। श्रम कानूनों की अनदेखी की जा रही है जिससे श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन हो रहे हैं। भारत को अपनी विकास नीतियों को रोज़गार पैदा करने पर केन्द्रित करना होगा। कृषि और उत्पादन क्षेत्रों पर विशेषरूप से ध्यान दिया जाना होगा क्योंकि यह श्रमिकों के जुड़ाव के बड़े क्षेत्र हैं। रोज़गार सम्बन्धों को अनौपचारिक बनाए जाने पर रोक जरूरी है क्योंकि इससे श्रम कानूनों का कार्यान्वयन न होने के साथ ही श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन की सम्भावना बढ़ती है। जहां रोज़गार की नई सम्भावनाएं रची जा रही हैं, वहां भी अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र, श्रमिकों

के अधिकारों से विहीन है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस में महिला कामगारों की संख्या बढ़ी है और वे नियोजकों के हाथों कई तरह के शोषण का शिकार होती हैं।

भारत को अपना अभिशासन सुधारना होगा और उद्योग को जवाबदेह बनाना होगा। मौजूदा कानूनों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है। ट्रेड यूनिनों के दस-सूत्री मांगपत्र पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। इन मांगों में बढ़ते दामों पर रोक, उत्पादक रोजगार का सृजन, श्रम कानूनों का कड़ाई से लागू किया जाना और इनका उल्लंघन करनेवालों को कड़ी सजाएं, सभी के लिए न्यूनतम पेन्शन सहित सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत, लाभ कमा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश पर रोक, नियमित काम को ठेकेदारी पर देने पर रोक और ठेका कामगारों को नियमित कामगारों के समान वेतन का भुगतान, न्यूनतम वेतन अधिनियम में सुधार करके सभी कामगारों को इसके अधिकार-क्षेत्र में शामिल करना और न्यूनतम मासिक वेतन दस हजार रूपए करना, बोनस के भुगतान पर सीमा को हटाना, सभा करने की स्वतन्त्रता और सामूहिक सौदेबाजी से जुड़े कन्वेंशन 87 और 98 सहित इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के केन्द्रीय श्रम समझौतों का अनुसमर्थन शामिल हैं। सरकार द्वारा इनकी अनदेखी से अराजकता की स्थिति बन सकती है।

विकास के बजाय आजीविकाओं के सृजन को योजनाओं के केन्द्र में रखा जाना चाहिए। कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में श्रमिकों के जुड़ाव के सरोकारों और साथ ही नौकरियों की स्थिति पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छी स्थितियों में, जिन में इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के केन्द्रीय श्रम समझौतों का पालन शामिल हो, उत्पादक और पूरा रोजगार आवश्यक बनाया जाए। इस में प्रवासी श्रमिकों के सरोकारों का भी समाधान हो जिन का शोषण आतिथेय देश करते हैं।

2015-के-बाद-विकास एजेण्डा के लिए अनुशंसाएं/सिफारिशें

परामर्श में भाग लेने वाली यूनिनों ने चार समूह बनाए, हर समूह ने एक विशिष्ट क्षेत्र पर चर्चा की। उनकी अनुशंसाएं/सिफारिशें निम्नांकित हैं:

समूह 1: वैश्विक सन्दर्भों में बदलाव: वैश्वीकरण पूंजी-केन्द्रित रहा, इस में लाभ और वित्तीय पूंजी संचय पर जोर रहा और इस तरह गरीबी, आय में असमानताओं और प्रक्रियाओं से बाहर रखे जाने को लेकर विकासशील विश्व के मानवीय सरोकारों की अनदेखी की गई। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वैश्विक परिदृश्य और भी कठोर और प्रतियोगी हो गया है जिस का नकारात्मक प्रभाव विकासशील विश्व-खासतौर पर कामकाजी वर्ग पर पड़ा है। इस से पहले से मौजूद गरीबी, असमानताएं और प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाना और बढ़े हैं। यह मान लेने के कोई कारण भी नहीं हैं कि अगले कुछ समय में यह स्थिति सुधरेगी। इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि थोड़े से लोगों को लाभ पहुंचाने वाले मौजूदा आर्थिक पैमाने को सुधारे जाने की जरूरत है। यह भी कहा गया कि वैश्विक स्तर पर विकास विमर्श में विकासशील विश्व के लोगों के सरोकारों को जोड़ा जाए।

समूह 2: राष्ट्रीय सन्दर्भ में बदलाव: मौजूदा वैश्विक प्रचलनों/प्रवृत्तियों के चलते आउटसोर्सिंग, ठेके पर काम देने और काम के अनौपचारिकीकरण में बढ़ोतरी हुई है जिस के परिणामस्वरूप काम करने की स्थितियां अस्थिर हुई हैं। लागत कम करने की नीतियों के कारण उत्पादन अनियन्त्रित क्षेत्र में सरक गया है जहां श्रमिक अधिकारों का धड़ल्ले से उल्लंघन होता है। हाल के उन औद्योगिक विवादों के पीछे भी यही स्थितियां हैं जिनके परिणाम बहुत अप्रिय रहे। भारत में अभिशासन सकल घरेलू उत्पाद पर केन्द्रित है इसलिए यह बेरोजगारी

और गरीबी की प्राथमिक समस्याओं की अनदेखी करता है। यह सच है कि समावेशी वृद्धि और आय और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने पर केन्द्रित सदाशयी नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं लेकिन उन के कार्यान्वयन में रह गई कमियों के कारण इन के लाभ लक्षित जनसमूहों तक नहीं पहुंच रहे। नतीजा यह है कि गरीबी का आकार और प्रकृति व्यापक हुए हैं।

समूह 3: भारत में विकास: वृद्धि तो हुई लेकिन नौकरियां तैयार नहीं हुई। इस में कोई सन्देह नहीं कि भारत ने आय, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने पर केन्द्रित नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए। शिक्षा को अधिकार भी बना दिया गया है। वृद्ध लोगों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने की पहलें भी चल रही हैं। महिला कामगारों के लिए सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ढांचागत कमियों, संसाधनों की सीमितता या समुचित अभिशासन की कमी के कारण कार्यान्वयन में कमियां रह गईं। समुचित अभिशासन के न होने और दिशाहीन विकास के कारण बहुसंख्य भारतीय तथाकथित 'शाइनिंग इण्डिया' से अछूते ही रह गए हैं। अध्ययन बार-बार बता रहे हैं कि विशेषरूप से 2008 के बाद के वित्तीय संकट के बाद, गरीबी, असमानताएं और प्रक्रियाओं से बाहर रखा जाना और बढ़े हैं।

समूह 4: नया 2015-के-बाद-का-ढांचा: नौकरियां विकास के केन्द्र में हैं। इस तरह रोजगार को गरीबी, असमानताओं और प्रक्रियाओं से बाहर रखे जाने के प्राथमिक तोड़ के रूप में देखा जाना चाहिए। विकासशील विश्व के लिए कृषि और इससे जुड़े क्षेत्र और घर से किए जाने वाले काम सहित अनौपचारिक क्षेत्र ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जो न केवल आय पैदा करते हैं बल्कि मौजूदा और भावी कार्यबल को भी साझा करते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन सब से ज्यादा होता

है और इन्हीं में जैण्डर-आधारित भेदभाव, कार्यस्थल पर यौन-प्रताड़ना और न्यायपूर्ण वेतन न दिए जाने के सबसे ज्यादा मामले मिलते हैं। इसलिए 2015-के-बाद विकास ढांचे को बढ़िया स्थितियों में, एक न्यूनतम सुरक्षा-आधार सहित पूरा और उत्पादक बढ़िया रोजगार उपलब्ध करवाने पर प्रयास केन्द्रित करने चाहिए। ट्रेड यूनियनों के दस-सूत्री मांगपत्र पर गम्भीरता से विचार हो जिस में सभा करने की स्वतन्त्रता और सामूहिक सौदेबाजी से जुड़े कन्वेंशन 87 और 98 सहित इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन के केन्द्रीय श्रम समझौतों का अनुसमर्थन शामिल है। कौशलों और आवश्यकताओं के बीच के मौजूदा अन्तराल का समाधान किया जाना ज़रूरी है। कानूनों में अन्तर्विरोध हटाए जाएं। ट्रेड यूनियनों को श्रमबल की प्रतिनिधि संस्था के तौर पर, समस्या के समाधान के हिस्से के रूप में देखा जाए और इस तरह इसे 2015-के-बाद के प्रस्तावित विकास ढांचे में प्रभावी रूप से शामिल किया जाए।

अतिरिक्त अवलोकन और टिप्पणियां

ट्रेड यूनियन परामर्श जिन में भारत की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया, श्री जी. संजीव रेड्डी, अध्यक्ष इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस; सुश्री लिज़े ग्रैण्डे, भारत में यूनाइटेड नेशन्स रेज़िडेंट को-ऑर्डिनेटर; सुश्री टिने स्टैरमोज़, भारत में इण्टरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की डायरेक्टर और सुश्री सैम बार्नेस, भारत में एम डी जीज़ के लिए यूनाइटेड नेशन्स की एडवाइज़र; हिन्द मज़दूर सभा के राष्ट्रीय सचिव श्री आर. ए. मित्तल आदि की उपस्थिति और हस्तक्षेपों से लाभान्वित हुआ। इन हस्तक्षेपों से बहसों को विकास विमर्श में समावेशी तरीका लाने पर केन्द्रित रखने में सहायता मिली। खुदरा क्षेत्र में सीधे विदेशी पूंजी निवेश (FDI) का विरोध साफ़ दिखा; इस पर अधिक विचार और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए और बहस की ज़रूरत है।

परामर्शों के दस्तावेज

दस्तावेजों की विस्तृत सूची और इन दस्तावेजों के लिंक निम्नांकित हैं:

- यूनाइटेड नेशन्स मिलेनियम डिक्लेरेशन, 2000.
<http://bit.ly/ZblmFI>
- यूएन द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2012.
<http://bit.ly/10h2cmw>
- गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एमडीजी रिपोर्ट, 2011.
<http://bit.ly/16uTvpb>
- स्नेपशॉट ऑफ़ इण्डियाज़ प्रोग्रेस ऑन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स:
<http://bit.ly/12m35y0>
- आइएलओ कन्सैप्ट नोट—जॉब्स एण्ड लाइवलीहुड एट द हार्ट ऑफ़ पोस्ट-2015 डेवलपमेंट एजेण्डा.
<http://www.worldwewant2015.org/node/318022>
- आइटीयूसी ब्रीफ़िंग नोट —डीसेंट वर्क इन द पोस्ट-2015 डेवलपमेंट एजेण्डा (दिसम्बर 2012).
<http://www.worldwewant2015.org/node/318022>
- 2015-के-बाद ढांचा पर चार क्षेत्रीय परामर्शों की रिपोर्टें.
<http://www.worldwewant2015.org/node/318022>
- इश्यूज़ एमर्जिंग आउट ऑफ़ ज़ोनल कन्सल्टेशन्स ऑफ़ द ट्रेड यूनियन्स.
- पी पी टी प्रेजेंटेशन, श्री के. एस. रविचन्द्रन, आइ एल ओ.
- पोस्ट-2015 डेवलपमेंट एजेण्डा पर पी पी टी प्रस्तुति-एन्जिंग ट्रेड यूनियन्स, प्रवीण सिन्हा, कन्सल्टैण्ट.



UNITED NATIONS
संयुक्त राष्ट्र

यूनाइटेड नेशन्स रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस

55, लोदी एस्टेट

नई दिल्ली — 110003

भारत

टेलिफोन: 91-11-46532333

फैक्स: 91-11-24627612

ईमेल: unrco@one.un.org

वैबसाइट: <http://in.one.un.org>